



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सं.अ.सं./क्रमांक/487/2024

दिनांक 7/08/2024

सूचना

विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को यह सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथमतः दिनांक 26 जुलाई 2024 तक एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल खोला गया था, परंतु कुछ संस्थाएँ नियत तिथि तक नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कर पाई है उन संस्थाओं के निवेदन पर पुनः एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल खोला जा रहा है।

अतः जिन संस्थाओं ने सत्र 2024-2025 का नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है वे संस्थाएँ 07 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक GST सहित जमा करना सुनिश्चित करें।

संस्थाओं का नवीनीकरण शुल्क जमा न होने की दशा में संस्थाओं पर रेग्युलेशन 18/2008 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

Babita
07/08

(डॉ. बबिता अग्रवाल)

निदेशक

संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ

क्रमांक/सं.अ.सं./2024/

दिनांक : /08/2024

प्रतिलिपि :

- 1 निज सचिव कुलपति, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
- 2 वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
- 3 प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Babita
07/08

(डॉ. बबिता अग्रवाल)

निदेशक

संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ